न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— भवानी सिह आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 37/2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. बाबूलाल पुत्र घीसाराम 2. कुनाराम पुत्र घीसाराम 3. गिरधारी पुत्र जगाराम 4. हेमाराम पुत्र जगाराम 5. झमू पुत्री जगाराम 6. श्रीमती मोहनी पत्नी जगाराम जातियान माली, निवासीगण खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. भीयाराम पुत्र घमण्डाराम 2. वीरमराम पुत्र घमण्डाराम 3. भैराराम पुत्र उरजाराम उर्फ अर्जुनराम 4. श्रीमती माडीदेवी पत्नी उरजाराम उर्फ अर्जुनराम जातियान माली निवासीगण खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर 5. आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा बिलाड़ा 6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बिलाड़ा 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्राथना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :— प्रार्थीगण को ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से बीरमाराम विश्नोई अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 5 व 6 बाद तामिल अनपस्थित, अप्राथी संख्या 7 की ओर से सरकारी पैरोकार

निर्णय **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा (8.6887 हैक्टयर) किस्म बारानी ए आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 1 से 2 तथा 1/5 हिस्सा प्रार्थी संख्या 3 से 6 का तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 का तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का तथा 1/5 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 3 से 4 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। इस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

अपने हिस्से अनुसार का”त करते है। का”त की सुविधा के लिए भूमि खसरा नम्बर 853/1 के 32 भाग किये हुये है, जिसके अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अलग–अलग भाग पर का”त करते ह। पक्षकारो के हिस्से अनुसार कब्जे का नजरी नक”ाा साथ में पे”ा है। उपरोक्त भूमि पूर्व में घमण्डाराम पुत्र नैनाराम की खातेदारी की थी। घमण्डाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के घीसाराम, जगाराम, भीयाराम, वीरमराम, उरजाराम उर्फ अर्जुनराम के नाम से खातेदारी दर्ज की गयी। जिसमें से घीसाराम, जगाराम, उरजाराम उर्फ अर्जुनराम का देहान्त हो गया। घीसाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके लड़के बाबूलाल, कुनाराम का नाम दर्ज किया गया। जगाराम के देहान्त के बाद उसके स्थान पर उसके दो लड़के गिरधारी, हेमाराम व पुत्री झमू व पत्नी श्रीमती मोहनी का नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार उरजाराम उर्फ अर्जुनराम का देहान्त हो गया, खातेदार उरजाराम उर्फ अर्जुनराम ने अपने जीवनकाल में भैराराम को गोद ले लिया तथा गोदनामा दिनांक 18.06.2005 को रजिस्टर्ड करवा दिया, उरजाराम उर्फ अर्जुनराम के प्रथम श्रेणो के वारि”ा उसका गोद पुत्र भैराराम व पत्नी श्रीमती माडीदेवी है। इस कारण विवादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 3 से 4 का जरिये उतराधिकार 1/5 हिस्सा है। प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे अनुसार बंटवाड़ा कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण ने अपने सयुक्त कब्जे का”त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा के भू भाग पर एक शामलाती कुआ तथा टयूबवेल को खुदवाया एवं कुआ तथा टयूबवेल में से पानी निकालने हेतु सिचाई के जनरेटर उपकरण आदि स्थापित किये। इस प्रकार शामलाती कुआ एवं टयूबवेल से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण अपने अपने का”त की भूमि पर सिचाई आदि का कार्य करते है। लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गई, वो प्राथीगण को अपने 1/5–1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में खुदे हुये कुआ व टयूबवेल में से पानी लेने का उपयोग नही करने दे रहे है। प्रार्थीगण ने अपने हिस्से का पानी लेने का प्रयास किया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 तथा अप्रार्थी संख्या 1 क पुत्र धन्नाराम व अ”ाोक ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में कुआ व टयूबवेल में से पानी ल लिया गया तो बन्दूक से उड़ा दिया जायेगा। [illegible] प्रार्थीगण ने सरपंच व गांव के प्रबुद्धजन को घटना की बात बतायी तो सरपंच व प्रबुद्धजन लोगो ने अप्राथी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 1 व 2 को समझाया कि प्रार्थीगण को उसके हिस्से का पानी लेने का उपयोग करने दिया जावे ताकि उनका परिवार का भरण पोषण चल सके, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपनी हठधर्मिता पर अड़ गये और अप्रार्थीगण को सयुक्त खातेदारी भूमि में स्थित कुए व टयूबवेल के पानी का उपयोग नही करने दिया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थीगण की 1/5–1/5 हिस्से की भूमि के पानी का उपयोग जबरन कर देते है। प्रार्थीगण शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बहुत ही झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है, अप्रार्थी संख्या 1 के पुत्र धन्नाराम, अ"ाोक भारतीय सेना में नौकरी करत है, वह बन्दूक से फायरिंग कर प्रार्थीगण को डरात धमकात है, जिनका मुकाबला प्रार्थीगण नही कर सकते है। प्रार्थीगण के 1/5–1/5 हिस्से की भूमि में खुदे कुऍ व टयूबवेल से पानी निकालकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रतिवर्ष लाखों रूपयों की आमदनी को प्राप्त कर लेते है, ऐसी कार्यवाही करने से प्रार्थीगण का जीवन संकट में पड़ गया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को सयुक्त खातेदारी भूमि में खुदे हुये कुए व टयूबवेल में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान उत्पन्न करने का कोई अधिकार नही है, इस कारण प्रार्थीगण को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की हाने से अप्राथीगण प्रार्थीगण के उनके हिस्से में का"त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जे से भिन्न स्थान पर दखल की जा रही है। इस कारण प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा लेकिन अप्रार्थीगण इसके लिए तैयार नही हुये तो प्रार्थीगण अपने 1/5–1/5 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से प्रार्थीगण की खातेदरी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पे"ा करना पड़ रहा है। अप्रार्थी सख्या 1 से 4 प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर का"त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में प्रार्थीगण के कब्जे का"त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नही करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 से 4 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पे"ा करना पड़ रहा है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

प्राथीगण विवादग्रस्त भूमि के काबिज होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है। तथा प्रार्थीगण काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा

प्रार्थीगण के हक में ह। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहों करने से प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना संभव नहीं है। अन्त में प्राथना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भ्मि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा (8.6887 हैक्टेयर) के विवादग्रस्त भूमि के किसी भी भाग पर कोई भी निमाण कार्य नहीं करें तथा मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखो जावें तथा शामलाती कुंआ व ट्यूबवैल मय सिंचाई उपकरण के उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें।

प्रार्थीगण का प्राथना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से श्री बीरमराम विश्नोई एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ में जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो जवाब इस प्रकार पेश किया कि पद संख्या–1 गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार है। पद संख्या 2 प्राथना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से अस्वीकार ह। क्योकि उक्त आराजी बाबत लिखित उभय पक्षकारान के मध्य दिनांक 16.01.1994 का फैमिली सटलमण्ट के तहत हो चुकी है, जिसका फमिली सेटलमेण्ट दिनांक 16.01.1994 का ही एक भाग है। जिसमें प्र्व में किये गये बंटवाड का विवरण है। पद संख्या–3 प्राथना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। बंटवाड़ा परस्पर सहमति से दिनांक 16.01.1994 को हो चुका है, नया विभाजन नही किया जा सकता है। पद संख्या–4 प्रार्थना पत्र गलत हाने से अस्वीकार ह। अप्रार्थी संख्या–1 व 2 ने अपने हक हिस्से मे ट्यूबवैल को खुदवाया एवं उसमें विधुतिकृत प्राप्त किया, इस कारण प्रार्थीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। पद संख्या–5 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वोकार है, पक्षकारो के मध्य कब्जे व काश्त को लेकर कोई विवाद नहों ह। पद संख्या–6 प्राथना पत्र गलत हेाने से अस्वोकार है। मौके पर 20–30 मकान निर्मित है, मौके पर अलग अलग काबिज है। पद संख्या–7 प्राथना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया, तुलनात्मक सुविधा, अप्र्णनीय क्षति का मामला बनना नही पाया जाता है। अन्त में जवाब प्राथना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्राथना पत्र प्रार्थीगण खारीज किया जावें। साथ में [illegible] सख्या–1 व 2 ने काउन्टर प्राथना पत्र को पेश किया, जो काउण्टर प्राथना [illegible] इस आधार का पेश किया कि ग्राम खेजड़ला तहसोल बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 876/1 रकबा 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

6634 हैक्टयर, खसरा नम्बर 877 रकबा 0.8171 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 878 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 851 रकबा 1.3429 हैक्टयर आयी हुयी है, उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि अविभाजित है एवं पक्षकारान 26 वर्षों से अलग अलग काबिज है। अपार्थी संख्या–1 व 2 का भौतिक कब्जा है दिनांक 19.08.2020 को एलानिया धमकी प्रार्थीगण द्वारा दी गयी है प्रार्थीगण ने उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 876/1, 877, 878, 851 पर कृषि कार्य नहों करने की धमकी दी गयी। अन्त में काउन्टर प्राथना पत्र को स्वोकार कर खाता संख्या–79 व 843 में वर्णित भूमि को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि अप्रार्थी सख्ंया 1 व 2 के कब्जे व काश्त को भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें।

अप्रार्थी संख्या–1 व 2 की ओर से पेश किया गया काउन्टर प्राथना पत्र का प्रार्थीगण की तरफ से जवाबुल जवाब मय जवाब काउन्टर प्राथना पत्र को पेश किया। जवाबुल जवाब के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के बीच कोई आपसी सहमति से फैमिली सेटलमेन्ट दिनांक 16.01.1994 को निष्पादित नहीं किया गया है, जबकि संयुक्त खातेदार प्रार्थी संख्या–3 से 5 के पिता व प्रार्थी संख्या–6 के पति जगाराम ने माननीय न्यायालय खाजा के समक्ष अप्राथी संख्या–1 व 2 के विरूद्ध अतगत धारा–92 ए, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का राजस्ववाद को पेश किया गया। उक्त राजस्व वाद संख्या–10/2017 में अप्रार्थी भींयाराम, बीरमराम ने जवाबदावा पेश किया, उस जवाबदावा के साथ विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा का नक्शा पेश किया गया, उस नक्शा में विवादित भमि खसरा नम्बर 853/1 को अविभाजित होना बताया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने यह स्वोकार किया है कि उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 853/1 अविभाजित है एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 एस्पोटल के सिद्धान्त से पाबन्द है। जवाब काउन्टर प्राथना पत्र इस आधार का पेश किया कि गाम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 876/1, 877, 878, 851 के लिए बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व प्राथना पत्र को पेश किया है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया खसरा नम्बर 853/1 से कोई संबंध नहीं ह। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा मात्र खसरा नम्बर 853/1 के संबंध में हो काउन्टर प्राथना पत्र को पेश किया [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अन्य भूमि खसरा नम्बर 876/1, [illegible] 878, 851 के सबंध में काउन्टर प्राथना पत्र चल नहों सकता ह, जो काउन्टर प्राथना पत्र इसी आधार पर खारीज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

योग्य है। अप्रार्थी संख्या– 3, 4 ने दावे का जवाब प्राथना पत्र मय काउन्टर प्राथना पत्र को पेश किया, जो जवाब प्राथना पत्र के संक्षप मे तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा जरूर आयी हुयी है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 3 से 4 का 1/5 वा हिस्सा निहित है, उक्त भूमि अविभाजित हैं। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण ने संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा के भू भाग पर शामलाती कुंआ तथा ट्यूबवल को खुदवाया, जिसका उपयोग व उपभोग करने का अप्रार्थी संख्या– 3, 4 को पूरा हक व अधिकार ह। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्राथना पत्र को स्वोकार करने का आदश फरमावें। अप्रार्थी संख्या–3, 4 ने काउन्टर प्राथना पत्र इस आधार का पेश किया कि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा की भूमि में पक्षकारों ने काश्त की सुविधा के लिये भूमि खसरा नम्बर 853/1 के 32 भाग किय हुये है, जिसके अनुसार प्राथीगण एवं अप्रार्थीगण अलग अलग काश्त करते ह, पक्षकारों के हिस्से अनुसार कब्जे का नजरी नक्शा साथ में पेश है। भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में शामलाती कुंआ तथा ट्य्बवैल खुदा हुआ है, जिसम प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण का संयुक्त रूप से कब्जा है तथा संयुक्त रूप से कुंआ तथा टयूबवैल का पानी लेने का उपयोग व उपभोग कर रहे है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नियत खराब हो गयी एवं शामलाती कुआ एवं ट्यूबवैल से पानी नहीं लेन दे रहे है। कई बार बंटवाड़ा कराने हेतु कहा गया लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बंटवाड़े के लिये तैयार नही हो रहे ह। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 3 व 4 के बीच आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवाड़ा दिनांक 11.11.1992 के अनुसार अपार्थी संख्या 1 से 4 तथा प्रार्थीगण के संलग्न काउन्टर प्राथना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में वर्णित ए बी सी डी की भूमि का प्वी दिशा स पश्चिमी दिशा तक पराने मकान आदि बने हुये है, जो पुराने मकान पूर्वा दिशा से पश्चिमी दिशा की भजा 36 फुट प्रत्येक पक्षकार की रखी गयी ह। अपार्थीगण तथा प्रार्थीगण आपसी सहमति का बटवाड़ा दिनांक 11.11.1992 के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि में बनाये गये मकानात आदि की पूर्वी से पश्चिमी दिशा की भजा 36 फुट तक निर्माण कार्य कर सकेंग तथा उसके बाद 30 फुट का रास्ता रखा गया है तथा उसके बाद शेष बची भूमि अप्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण की कृषि भूखण्ड के रूप में रहेगी ह। अप्रार्था संख्या 1, 2 एस्पोटल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

के सिद्धान्त से पाबन्द हैं, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने बंटवाड़ा विलेख निष्पादित करने के बाद अपने हिस्से की भूमि से ज्यादा पर कब्जा करना चाहता है, इस कारण अप्रार्थी संख्या 1, 2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा रोका जाना आवश्यक हैं।

यह कि माज्दा राजस्व प्राथना पत्र संख्या –37/2020 अनवान बाबूलाल बनाम भींयाराम में तारीख पेशी 14.09.2020 को अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी, जो अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की पारित की गयी कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 853/1 में किसी प्रकार का कोई पक्का निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या–37/2020 में तारीख पेशो 21.06.2021 को आदेश दिनांक 14.09.2020 को निरस्त कर दिया गया। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2021 से व्यथित होकर प्रार्थी (वादीगण) ने अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के समक्ष राजस्व अपील अन्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पेश की गयो। उक्त अपील में अपीलान्ट (प्रार्थीगण) तथा रेस्पोडेण्ट (अप्रार्थी संख्या 1 से 4) ने इस न्यायालय के समक्ष चल रही विविध प्रार्थना पत्र संख्या–37/2020 की पत्रावली में पेश किय गय प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा में दशायें अनुसार कब्जे को स्वीकार करने क कारण माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर ने अपने द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2021 में पेज संख्या–4 में स्पष्ट रूप से कथन कर निर्णय पारित किया गया, जो निर्णय इस आधार का पारित किया गया है **"अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के पष्ठ संख्या–86 पर उपलब्ध नजरो नक्शा एवं अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में अपीलांटस एवं रेस्पोडेण्ट को अपने हक हिस्से में कब्जे काश्त को दर्शाया हुआ है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित कब्जे काश्त के संबंध में उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष उसी अनुरूप विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा होना बताया गया।"** ऐसी परिस्थिती में अदालत हाजा उभय पक्ष की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

पारित अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाना उचित समझती है तथा उभय पक्ष को पाबंद किया जाता है कि व दिनांक 17.08.2021 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन अन्तर्गत धारा 212 पर अन्तिम बहस कर ले, तथा उसी रोज वाद में प्राथमिक डिक्री जारी कराने हतु अपनी अपनी सहमति दे दे। यदि अपीलाण्ट पक्ष इसमें चूक करता ह तो रेस्पोडेण्ट संख्या–1 उक्त अवधि समाप्ति पश्चात मकान निर्माण कार्य जारी करने हेतु स्वतन्त्र रहेगा।

यह कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 की पालना में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 3, 4 की ओर से राजीनामा मय निर्णय दिनांक 06.08.2021 को पेश किया गया, जो राजीनामा को तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा का बंटवाड़ा करने हेतु नाआब्जेक्शन जाहिर किया, जो नॉआब्जेक्शन पत्रावली की आडरशीट दिनांक 21.09.2021 में लिख कर दिया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने बहस म बताया कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 के अनुसार प्राथना पत्र का निर्णय जारी किया जावे, अगर निर्णय की पालना अप्राथी संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं की गयी तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरर्थक हो जायेगा प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषधाज्ञा से पांबन्द किया जावें कि वा पत्रावली क पृष्ठ संख्या 86 पर उपलब्ध नजरी नक्शा व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तत प्राथना पत्र के साथ नजरी नक्शे में वर्णित आराजी के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव में सहयोग करें, अगर अप्रार्थीगण द्वारा किसो प्रकार का सहयोग नहीं किया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बेजा फायदा उठा सकतें है, इस कारण प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावे। वकील अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने जवाब प्राथना पत्र व काउन्टर प्राथना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण का प्राथना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 3 से 4 ने जवाब प्राथना पत्र व काउन्टर प्राथना पत्र में वणित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थीगण का प्राथना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से यह विदित होता है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा पक्षकारों की अविभाजित भूमि है तथा मौके पर अलग अलग कब्जा व काश्त है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 का सम्मानपूवक अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.08.2021 में स्पष्ट रूप से कथन किया गया है कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रस्तत नजरी नक्शा तथा पृष्ठ संख्या–86 पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अनुसार पक्षकारों का कब्जा व काश्त है, जिसको लेकर पक्षकारो ने नक्शे को स्वीकार किया है, उसी स्वोकारोक्ति के चलते वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निर्णय को पारित किया गया है। इस कारण इसी परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण (वादीगण) द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या–37/2020 में पार्थना पत्र संख्या–37/2020 में पृष्ठ सख्या–86 पर उपलब्ध नजरी नक्शा के अनुसार विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्से में कब्जे काश्त की होनें की स्वीकारोक्ति के चलते प्रस्तुत मामले में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वोकार किया जाना उचित प्रतीत होता ह तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य भूमि खसरा नम्बर 876/1, 877, 878, 851 के संबंध में काउन्टर प्रार्थना पत्र को पेश किया है जो विवादित भूमि खसरा नम्बर 853/1 से कोई संबंध नहीं है इस कारण अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 3, 4 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वोकार किया जाना उचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 स 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंन्द किया जाता है कि वो ग्राम खेजड़ला तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 853/1 रकबा 53 बीघा 14 बिस्वा का बैचान हस्तान्तरण, रहन, मतकिल आदि की कायवाही को नहीं करें तथा पत्रावली के पृष्ठ संख्या 86 पर उपलब्ध नजरी नक्शा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार वर्णित भमि को खुर्द बुर्द नहीं करें एवं इसी दोनो नक्शो में [illegible] के कब्जे अनुसार बंटवाड़ा करने हेतु सहयोग प्रदान करें। अगर प्रस्तुत पत्रावली के पृष्ठ संख्या 86 पर नजरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा एवं प्रार्थीगण द्वारा पस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव में दोनों पक्षकारान द्वारा अगर सहयाग प्रदान नहीं किया जाता ह तो मौके पर दानों पक्षकारान किसी प्रकार का कच्चा या पक्का निमाण कार्य नहीं कर सकेंग एवं मौके की यथास्थिति कायम रखेगें। बंटवाड़ा प्रस्ताव में सहयोग करने के बाद पक्षकारान अपन अपने कब्जे अनुसार की भूमि पर निमाण कार्य कर सकेंगे। खचा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंग। पत्रावली फसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2022.02.03 16:06:45 IST
Reason: SelfAttested